

(राजस्थान-सरकार)
न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारों (राज.)
पीठासीन अधिकारी भंवर लाल जनागल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-06 / 2026

रजिस्ट्रेशन नं०:- 2026 / 27

बउनवान

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना छबड़ा जरिये जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारों
(सायल)

बनाम

जफर मोहम्मद उम्र 58वर्ष पुत्र उस्मान खां जाति मुसलमान निवासी जौहरीपुरा, छबड़ा जिला बारों
(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3

उपस्थिति :- 1- अभियोजन अधिकारी

(सायल)

2- स्वयं उपस्थित

(गैरसायल)

निर्णय दिनांक 19.05.2026

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल जफर मोहम्मद पुत्र उस्मान खां जाति मुसलमान निवासी जौहरीपुरा, छबड़ा जिला बारों के विरुद्ध जिला पुलिस अधीक्षक, बारों द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना छबड़ा ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बारों को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना छबड़ा क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। गैरसायल आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, चोरी, जुआ एक्ट के अपराधों का आदि है। इसके विरुद्ध पुलिस थाना छबड़ा में वर्ष 2006 से वर्ष 2025 में कुल 13 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ (07), 4/25 आर्म्स एक्ट (03), 8/21 एनडीपीएस एक्ट (02) एवं भादस(01) के तहत दर्ज हुए हैं। उक्त समस्त प्रकरणों में से कुल 10 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियाँ जारी हैं तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को कुल 10 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरुद्ध अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा-3 के तहत कार्यवाही की जावें। इस्तगासा विरुद्ध गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 07.04.2026 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया। प्रकरण में गैरसायल द्वारा उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई एवं जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस अभियोजन अधिकारी सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना छबड़ा में वर्ष 2006 से वर्ष 2025 में कुल 13 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ (07), 4/25 आर्म्स एक्ट (03), 8/21 एनडीपीएस एक्ट (02) एवं भादस(01) के तहत दर्ज हुए हैं। उक्त समस्त प्रकरणों में से कुल 10 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियाँ जारी हैं तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

गैरसायल के द्वारा प्रस्तुत जवाब के कथनों को दोहराते हुए दौराने बहस कहा गया कि मेरे खिलाफ प्रस्तुत इस्तगासा मिथ्या आधारों पर पेश किया गया है जो निरस्तनीय है। मेरे विरुद्ध दर्ज सभी प्रकरण निर्णित हो चुके हैं। पुलिस थाना छबड़ा द्वारा मेरे खिलाफ बताये गये अपराध गंभीर प्रकृति के नहीं हैं तथा सभी प्रकरण काबिल जमानतीय हैं। अतः निवेदन है कि मेरे खिलाफ प्रस्तुत इस्तगासा निरस्त फरमाये जाने की कृपा करे।

प्रकरण मे अभियोजन अधिकारी पक्ष सरकार एवं गैरसायल की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना छबड़ा में वर्ष 2006 से वर्ष 2025 में कुल 13 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ (07), 4/25 आर्म्स एक्ट (03), 8/21 एनडीपीएस एक्ट (02) एवं भादस(01) के तहत दर्ज हुए हैं। उक्त समस्त प्रकरणों में से कुल 10 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार यह साबित होता है कि जफर मोहम्मद पुत्र उस्मान खां जाति मुसलमान निवासी जौहरीपुरा, छबड़ा जिला बारों द्वारा उक्त अपराध किए गए हैं जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्ध है क्योंकि धारा 2(आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को समस्त प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

अतः गैरसायल जफर मोहम्मद पुत्र उस्मान खां जाति मुसलमान निवासी जौहरीपुरा, छबड़ा जिला बारों को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र, छबड़ा से 15 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल जफर मोहम्मद पुत्र उस्मान खां जाति मुसलमान निवासी जौहरीपुरा, छबड़ा जिला बारों को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना क्षेत्र छबड़ा से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना, कोतवाली झालावाड़ जिला झालावाड़ को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरुद्ध हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।

गैरसायल के विरुद्ध यह आदेश दिनांक 04.06.2026 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ जिला झालावाड़ को दी जावें। थानाधिकारी पुलिस थाना छबड़ा को तहरीर दी जावे जिसमें यह लिखा जावे कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना छबड़ा क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ जिला झालावाड़ के सुपुर्द कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 19.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फौसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भंवर लाल जनागल)
अति० जिला मजिस्ट्रेट,
बारां